रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 912] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 20, 2018/अग्रहायण 29, 1940
No. 912] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 2018/AGRAHAYANA 29, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1225(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए नियमों का प्रारुप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 872 (अ), तारीख 13 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना द्वारा उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, से तीस दिन की अवधि से पूर्व उनसे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 13 सितम्बर, 2018 को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और उक्त प्रारुप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अत: अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (अठारहवाँ संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 के खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(i) 'श्रेणी एल ।' से अभिप्रेत है, मोटर साइकिल या हल्के दो पहिया वाले संचालित वाहन जिसकी अधिकतम गति 70 किलोमीटर प्रतिघंटा से अनधिक है और इंजन क्षमता 50 सीसी से अनधिक है, यदि उष्मीय इंजन या मोटर क्षमता से सज्जित है तो 40 किलोवाट से अनधिक हो, यदि उसके साथ इलक्ट्रिक मोटर लगाया है ।'

3. उक्त नियमों में, नियम 110 में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'परंतु यह और कि 1 अक्तूबर, 2019 को और उसके पश्चात् तीन पहियों के हेडलैंप में लगाए गए फिलामेंट लैंप (बल्ब) को समय-समय पर सुधार किया जाएगा, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के विनिर्देशों के तत्स्थानी भारतीय मानक बयूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित न कर दिया जाए ।'।

4. उक्त नियमों में, नियम 117 में, उप-नियम (1) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'परंतु यह और कि ऐसे वाहन को जिसकी डिजाइन की गई गति तीस किलोमीटर प्रति घंटा से अनधिक है, उप-नियम (1) के क्षेत्र से छूट-प्राप्त होगी ।

5. उक्त नियमों में, नियम 125 में, उप-नियम (9) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(10) 1 अप्रैल, 2020 को और उसके पश्चात् विनिर्मित श्रेणी एम 2, श्रेणी एम 3 तथा श्रेणी एन (अर्ध-ट्रेलरों के लिए पुलर ट्रैक्टर सहित ट्रैक्टरों, ट्रेलरों और माडयूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों को छोड़कर) के वाहन, तदनुरुपी बीआईएस विनिर्देशनों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत अधिसूचित किए जाने तक समय समय पर यथासंशोधित एआईएस-145:2017 की अपेक्षाओं के अनुरुप वाहन रिवर्स पार्किंग अलर्ट सिस्टम से सुसज्जित होंगे;

(11) तीन पहिया वाहनों के अधिभोगी के लिए सुरक्षा उपबंध: 1 अप्रैल, 2020 को और उसके पश्चात् तीन पहिया वाहनों के अधिभोगी के लिए सुरक्षा उपबंध समय-समय पर किए गए सुधार के अनुसार एआईएस – 134:2016 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुरुप होगा जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के विनिर्देशों के तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित न कर दिया जाए ।"।

[फा.सं. आरटी – 11028/03/2017-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंत में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1192(अ) तारीख 11 दिसम्बर, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2018

G.S.R. 1225(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 872(E), dated the 13th September, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of

thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 13th day of September, 2018;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft ruleshave been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

1. **Short title and commencement**. -(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Eighteenth Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereafter referred as the said rules), in rule 2, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely: -

‘(i) “Category L1” means a motor cycle or a light two wheeled powered vehicle with maximum speed not exceeding 70 kilometer per hour and engine capacity not exceeding 50cc if fitted with a thermic engine or motor power not exceeding 4.0 kilowatts if fitted with electric motor.’.

3. In the said rules, in rule 110, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that, on and after the1st day of October, 2019, the filament lamp (bulb) fitted in headlamp of three wheelers shall be as per AIS-134:2016, as amended from time to time, till the corresponding Bureau of Indian Standards (BIS) specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).”.

4. In the said rules, in rule 117, in sub-rule (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that a vehicle of which, designed speed does not exceed thirty kilometers per hour shall be exempted from the purview of sub-rule (1).”.

5. In the said rules, in rule 125, after sub-rule (9), the following sub-rules shall be inserted, namely: -

“**(10)** Vehicles of Category M2, Category M3 and Category N (except tractors including puller tractor for semi-trailers, trailers and modular hydraulic trailers), manufactured on and after the 1st April, 2020, shall be fitted with the vehicle reverse parking alert system complying with the requirements of AIS-145:2017, as amended from time to time, till the corresponding Bureau of Indian Standards (BIS) specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);

(11) **Safety provisions for occupant of three wheeled vehicles:**On and after the 1st day of April, 2020, the safety provisions for occupant of three wheeled vehicles shall conform to provisions specified in AIS-134:2016, as amended from time to time till the corresponding Bureau of Indian Standards (BIS) specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).”.

[F.No. RT-11028/03/2017-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R 1192 (E) dated 11th December, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.12.21 15:03:13 +05'30'